निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 15 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) के माह 12/2016 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 25/05/2017 से 16/06/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री दिनेश कुमार पर्यवेक्षक एवं श्री अजय कुमार मश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17/12/2015 से 29/12/2015 तक श्री आर.एस. नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2014 से 11/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सड़क/भवन/सेतु का निर्माण कार्य।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आ धक्य (+)	बचत (-)	आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	-	-	803.48	637.86	1317.90	1311.08				6.82
2015-16	-	-	668.63	668.39	2908.00	2738.97				169.03
2016-17	-	-	774.08	731.86	1626.28	1589.90				36.38

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता, लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। ज्ञानसू साल्ड ऊपरी कोट मो.मा. के कमी. 12 से 18 में सुधार एवं डामरीकरण का कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी

सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक मई 2015 में का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2014 तथा 09/2014 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 04/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथमः (-) 1860679/-

   भाग द् वतीयः 89895/-
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 04/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 3548838/-

   (ख)सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप 4,11,97,812/-

   (ङ) भण्डार -

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 1: बिना उच्च अ धकारियों द्वारा अनुमोदन कए अतिरिक्त मद मे `**22.06** लाख ठेकेदार को भुगतान व पुनरी क्षत आगणन मे `71.36 लाख के पूर्ण कार्यो पर अ धक प्रावधान कर शासन की स्वीकृति हेतु पुन: प्रे षत कया जाना।

जनपद उत्तरकाशी में देवीधार फोल्ड मोटर मार्ग से भटवाडी पन्चाणगाँव मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 क.मी. एवं 36.00 मीटर स्पान के स्टील गर्डर सेतु निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश स.1542/III(2)/09-22 मु.मं.घो./09 दिनांक 31.03.2010 द्वारा `289 लाख की खण्ड को प्राप्त हुई थी ले कन खण्ड द्वारा मुख्य अ भयंता स्तर -1 को अवगत कराया क वलम्ब ओर कार्य स्थल पर 42.00 मीटर स्पान के स्टील गर्डर सेतु की अवशयकता होने के कारण मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 क.मी. स्वीकृत लागत के अन्दर निर्माण कया जाना संभव नही हैं। तत्पश्चात उक्त कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयंता स्तर-1 के पत्रांक-4564/6(81)याता-स्तर-1/2014 दिनांक-06.12.2014 को `289.00 लाख की प्राप्त हैं| उक्त स्वीकृति के सापेक्ष 1.00 क.मी.लम्बाई में पहाड़ काटन एवं स्कपर का कार्य पूर्ण कया जाना था तथा 42.00 मी.स्टील गर्डर सेतु निर्माण कया जाना था। इस के अतिरिक्त प्रा व धक स्वीकृति मे खण्ड को यह भी दिशा निर्देश दिये गये थे क वे मोटर मार्ग के अवशेष 4 क.मी.लम्बाई निर्माण हेतु नया आगणन गठित करके शासन को प्रे षत करना सुनिश्चित करे।

उपलब्ध कये गये अ भलखो के अनुसार उपरोक्त कार्य पर वत्तीय नियम व UK Procurement rule 2008 के अन्तर्गत अ धशासी अ भयन्ता द्वारा पूर्व मे उच्च अ धकारी (मुख्य अ भयंतास्तर-1) से कार्य को छोटे छोटे टुकड़ो मे बाटने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की तथा कार्य को निम्न अलग अलग 3 अनुबन्ध गठित कर निष्पादित कए गए थे।

- 1 क.मी.लम्बाई सड़क निर्माण कार्य में पहाड़ काटन एवं स्कपर का कार्य पूर्ण कया जाने हेतु अ धशासी अ भयन्ता द्वारा दो अनुबन्ध 26 ईई दिनाक 25/05/2015 लागत `17.07 लाख  व  27/ईई 25/05/2015 लागत `17.67 लाख गठित कये गये थे। उक्त अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने क ति थ 25/5/2015 व पूर्ण 24/09/2015 तक कया जाना था। अ भलेखो मे पाया गया क इन दोनों अनुबन्ध मे:
    1. खण्ड द्वारा प्रतिकरहेतुआगणन मे 5.00 क.मी.लम्बाईहेतु `13.65 लाख का प्रा वधान  कया गया था। जिसके अनुसार 1.00  क.मी.लम्बाई मे केवल `2.60

लाख का भुगतान कया जाना था ले कन खण्ड द्वारा स र्कल रेट पुनरी क्षत होने के कारण उक्त 1.00 क.मी.लम्बाई मे `11.20 लाख का प्रतिकर बांटा ओर पुनरी क्षत आगणन मे अवशेष 4 क.मी.लम्बाई के साथ ही उक्त 1.00 क.मी.लम्बाई मे फर से प्रतिकर बाटने हेतु अनावश्यक ही `15.60 लाख का प्रावधान कर के शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषत कया।

2. खण्ड द्वारा in contravention to the delegation of powers 2010 मोटर मार्ग निर्माण कार्य के अनुबन्ध संख्या 27/ ईई 25/05/2015 मे `22.06 लाख (7.63%against the sanctioned cost of the work i.e.`289.00 लाख) के अतिरिक्त मद से कार्य करवाया ले कन इस अतिरिक्त मद को बिना उच्च अ धकारियों द्वारा अनुमोदन कए ही ठेकेदार को भुगतान कया गया।इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा एक्सट्रा आइटम से 10% Surplus material कार्य स्थल से lift व dispose करने हेतु ठेकेदार को भुगतान कया था जब क अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार द्वारा hill side excavated Surplus material कार्य स्थल से lift व dispose of कया जाना था।

इस प्रकार1.00 क.मी.लम्बाई मे मोटर मार्ग के निर्माण को पूर्ण करने हेतु अनुबन्ध रा श `34.74 लाख के सापेक्ष कुल `55.80 लाख का व्यय हुआ।

- अनुबन्ध संख्या 01/SE-06/2014-15 लागत `232.04 लाख के अनुसार 42.00 मी.स्टील गर्डर सेतु निर्माण कया जाना था। उक्त अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने क ति थ 04/04/2015 व पूर्ण 04/10/2016 तक कया जाना था।
  1. जब क अ भलखो मे पाया गया क खण्ड द्वारा इस कार्य को समय पर पूर्ण करने हेतु ठकेदार को न तो कोई नोटिस और न ही समय वृद् ध दी है।
  2. इस सेतु पर अब तक कुल `200.71 लाख (मई 2017 तक) व्यय कया जा चुका है और कार्य को पूर्ण करने हेतु (संलग्नक के अनुसार) शेष `18.08 लाख के कार्य कए जाने अवशेष है।

इस प्रकार सेतु निर्माण को पूर्ण करने हेतु कुल`218.79 लाख का व्यय होगा।

उपरोक्त के अनुसार सेतु निर्माण को पूर्ण करने पर कुल `218.79 लाख का व्यय होगा एवं दोनों कार्य कुल `289.43 लाख मे पूर्ण होगे। जब क खण्ड द्वारा प्रा व धक स्वीकृति के वपरीत `697 लाख *(सेतु निर्माण हेतु `**267** लाख व मोटर मार्ग के अवशेष 4 क.मी.लम्बाई के निर्माण*

हेतु `430 लाख के साथ ही पूर्ण कए गए 1.00 क.मी.लम्बाई मे फर से प्रतिकर बाटने हेतु अनावश्यक `15.60 लाख का, पूर्ण कए गए एवं भुगतानित अतिरिक्त मद पर पुनः नए दर से व ***Surplusmaterial*** *को कार्य स्थल से* ***lift*** *व* ***dispose*** *करने हेतु प्रावधान कर के शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषत कया।)* का पुनरी क्षत आगणन शासन की आप त्त के निराकरण के बाद(मई 2017) मे पुनः प्रे षत कया। इस कारण से पुनरी क्षत आगणन मे `71.36 लाख[1] के पूर्ण कार्यो पर अ धक स्वीकृत प्राप्त की जा रही है।

इस और इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क पुनरी क्षत आगणन में स्वीकृति हेतु `22.06 लाख के अतिरिक्त मद मे सम्मि लत कया गया है एवं पूर्व में पूर्ण किये गये कार्य को पुराने SOR के आधार पर ही पुनरीक्षित आगणन में सम्मिलित किये गये हैं तथा प्रेषित आगणन की जांच की जायेगी। जबकि मात्र 10 प्रतिशत का मलवा ट्रैक्टर द्वारा सुरक्षित स्थान पर डाला गया है, जिससे काश्तकारों के खेतों को क्षति न हो। खण्ड का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अतिरिक्त मद का भुगतान नही किया जा सकता है।पूर्व में पूर्ण किये गये कार्य को नये SOR के आधार पर ही पुनरीक्षित आगणन में सम्मिलित किये गये हैं व अनुबन्ध के विपरीत ठेकेदार को मलवा उठाने हेतु भुगतान किया गया।

अतः अतिरिक्त मद मे `22.06 लाख को बिना उच्च अ धकारियों द्वारा अनुमोदन कए ही ठेकेदार को भुगतान,अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार द्वारा hill side excavated Surplus material कार्य स्थल से उठान व निपटान न कए जाने व पुनरी क्षत आगणन मे `71.36 लाख के पूर्ण कार्यो पर अ धक प्रावधान कर शासन की स्वीकृति हेतु प्रे षत कए जाने का प्रकरण शासन के सज्ञान मे लाया जाता है।

---

[1] क.मी. 1मे = `7.56 लाख (annexure A अनुसार), सेतु निर्माण पर= `48.02 लाख (annexure B के अनुसार) एवं क.मी. 1मे प्रतिकरकेप्रा वधान से = `15.60लाख फोरम Z ब के अनुसार)

भाग 2 'ब'

प्रस्तर **2**: वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण एक अ धकारी पर `3.28 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान ।

अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी के अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री नवीन कुमार शर्मा , सहायक अ भयन्ता, श्री रिजवान,सहायक अ भयंता एवंश्री हरीश संह की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर 2004 मे नियु क्त हुई थी तथा अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर मार्च/मई2011 को हुई|

उपरोक्त अ धकारियो की भर्ती एक ही वर्ष एवं पद पर हुई थी एवं पदोन्नति भी एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद परहुई थी परन्तु 2011 में अपर सहा.अ भयंता के पद पर पदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं| उक्त अ धकारियो के सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का उल्लेख नहीं कया गया था|

श्री नवीन कुमार शर्मा, सहायक अ भयंता तथा श्री रिजवान,सहायक अ भयंता को पदोन्नति पर प्रत्येक को मूल वेतन `18750/= दिया गया जब क वेतन आयोग के अनुसार `17080/= दिया जाना चाहिये था| इस प्रकार मार्च 2011 को मूल वेतन `17080/=निर्धारित करने पर मार्च 2011 से मई 2017 तक प्रत्येक को कुल `3.28 लाख(केवल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया|

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क वेतन निर्धारण करते समय त्रुटिवश गलत निर्धारण कर दिया गया था| जो अब सही कर दिया गया हैं| और वसूली की कार्यवाही भी की जा रही हैं|

अत: एक अ धकारी पर `3.28लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ‘ब‘

प्रस्तर 3: ` 52.18 लाख का प्रतिकर के भुगतान कसानो को न कया जाना व वत्तीय नियमो का उल्लघन करते हुवे सी०सी०एल० से डी०सी०एल० मे नि ध व्यावर्तन।

अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड को स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अंतर्गत पपली से दड़माली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से कसानो के क्षतिग्रस्त खेतो का एवं मलवा सफाई पेड़ो का प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु दिसम्बर 2013 व मार्च 2014 मे कुल ` 101.19 लाख प्रमुख अ भयन्ता/ एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग,देहरादून ने शासनादेश संख्या 2354/आईआईआई(2) /13-01(बजट)/2013 दिनांक 11-04-2013 के संदर्भ मे धन आवंटन कया था। इस धनरा श का व्यय अनुदान संख्या 30 लेखा शीर्षक 5054 सड़क एवं सेतु -04 जिला व अन्य सड़क -आयजोनागत 800 अन्य व्यय 02 अनुसू चत जातियो के लए स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान 00 भू म अ धग्रहण 24 वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जाना था।

लेखा अ भलखो मे आगे यह पाया गया क खण्ड द्वारा उक्त रा श मे केवल ` 49.01 लाख का वतरण कया और शेष धनरा श ` 52.18 लाख निक्षेप मद भाग-III मे रख दी जो क वत्तीय नियमो का उलंगन है। इस के अतिरिक्त खण्ड द्वारा वतरित धनरा श ` 49.01 लाख का ववरण एवं धनरा श कसको और कब कतनी बांटी गयी का लेखो का संकलन/रेकॉर्ड लेखा परीक्षा को उपलब्द नहीं कराया गया। जिससे ये सुनिश्चित नहीं कया जा सका क कुल कतनी व कसको यह धनरा श बांटी गयी है और कुल कतने कसानो को देय धनरा श/प्रतिकर के भुगतान से वं चत रखा गया है। आगे यह भी देखा गया क जिला धकारी उत्तरकाशी के द्वारा सर्कल रेट पुनरी क्षत कए गए है। उक्त के अनुसार भू म प्रतिकर का भुगतान प्राप्त धनरा श से कया जाना अति थ मे सम्भव नहीं है।

इस सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया ककाश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान उनके द्वारा सहमति पत्र विभाग में जमा नही किये गये जबकि प्राप्त धनराशि को सी0सी0एल0 से डी0सी0एल0 मद में डाले जाने के सम्बन्ध में कोई आख्या नही दी गयी। खण्ड का उत्तर मान्य नही था कि क्योकि प्रतिकर प्रस्तावों की जॉच उपजिलाधिकारी/तहसीलदार एवं पटवारी की जॉच कमेटी द्वारा स्थलीय सत्यापन किये जाने

केपश्चात ही प्रतिकर प्रस्ताव अनुमोदित किये गये थे तथा आवंटित धन का शतप्रतिशत उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जाना था। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के नियम–95 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को सी0सी0एल0 से डी0सी0एल0 मद में डाले जाने का भी उल्लंघन किया है।

अतः ` 52.18 लाख का प्रतिकर समयपर कसानो को भुगतान न कया जाना व वत्तीय नियमो का उल्लघन करते हुवे सी०सी०एल० से डी०सी०एल० मे नि ध व्यावर्तन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 4 : प्राप्त धनरा श `**4.07** करोड़ को निक्षपे मद मे अवरूद रखा जाना व निर्माण कार्यो पर व्यय के बाद भी समय पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना।

वत्तीय हस्त पुस्तका भाग 6 के पैरा संख्या 519 (ब)मे निहित प्रावधानों के अनुसार खण्ड should promptly surrender the un-expended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer.

अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी के निक्षपे मद भाग-III के अ भलखो की नमूना जांच मे पाया गया क 61 व भन्न कार्यो (सलगनक ब के अनुसार) हेतु धनरा श ` 4.07करोड़ अवरूद पड़ी थी। जिसका वगत कई वर्षो से उपोयाग नहीं कया गया था उपरोक्त व र्णत प्रावधान के अनुसार खण्ड द्वारा इस सम्बंध मे कोई कार्यवाही नियम अनुसार नहीं की गयी थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त आगे यह भी पाया गया क पूर्व मे कुछ कार्यो के न कए जाने पर लेखा परीक्षा द्वारा आप तया व भन्न प्रतिवेदन द्वारा उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे भी लाया गया था तत पश्चात भी निम्न प्रकरणो का निपटारा नहीं कया गया है।

कार्य का नाम	एआईआर/पैरा संख्या	प्रस्तर मे आप्ति क धनरा श	अवरूद धनरा श
ज्ञानसू गैस गोदाम के नीचे बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य	7/2012-13पैरा 3	`**88.76** लाख	`**88.74** लाख
स्यालना से सरतली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण काय	7/2012-13पैरा 2	`26.37 लाख	`**19.55** लाख

अत: प्राप्त धनरा श को निक्षपे मद भाग-III मे अवरूद रखे जाना व निर्माण कार्यो पर व्यय के बाद भी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है क खण्ड एक तरफ इन कार्यो को सही महत्व नही दे रहा है व दूसरी ओर नियम अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चितनहीं कर रहा है जो क खण्ड की लापरवाही को भी परिल क्षत करता है।

इस सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क ज्ञानसू गैस गोदाम के नीचे बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य हेतु जो धनराशि अवशेष है उसे वापस करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है तथा स्यालना से सरतल तक मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड उत्तरकाशी को हस्तान्तरित हो गया है, इस कार्य में बची अवशेष धनराशि को शीघ्र ही समर्पित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि कई कार्य प्रगति पर है

जिनमें भुगतान किया जाना शेष है, अन्य कार्यो जो पूर्ण कर लिये गये है उनकी शेष बची धनराशि के समर्पण हेतु पत्राचार किया जा रहा है। खण्ड का उत्तर मान्य नही है क्योकि खण्ड द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा में भी इसी प्रकार का तर्क दिया गया था जबकि अपेक्षित कार्यवाही नियम अनुसार खण्ड द्वारा वगत कई वर्षो से सुनिश्चित नहीं की गई जो क खण्ड की लापरवाही को भी परिल क्षत करता है।

अतः प्राप्त धनरा श `4.07करोड़ को निक्षपे मद मे अवरूद रखे जाने व निर्माण कार्यो पर व्यय के बाद भी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होनेका प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 5 : उपखनिजो पर `**5.52** लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 तथा 842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

उक्त के परिप्रेक्षय में खण्ड के संबं धत अ भलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पायागया क खण्ड द्वारा मार्च 1, 2016 सेमार्च 2017 तक कुल `62.82 लाख कटौती कर जमा कया गया था। ले कन उक्त ल खत अ धसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती मार्च 2016 से September 2016 तक नही क गयी थी। अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर रू 90 के स्थान पर `121.56प्रति घन मीटर (`194.50/2X 25%=`121.56) 18 मई 2016 तक तथा (19 मई 2016 से `96.25प्रति घन मीटर(`154/2X 25%=`96.25)) प्रति घन मीटर संशो धत /वृद् ध कया गया था। अगर खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो रू 5.52 लाख रायल्टी के रूप में राजस्व अ धक प्राप्त होती अर्थात (रू 37.78- रू 33.26 लाख) रू 5.52 लाख की राजस्व की कम वसूलीखण्ड द्वारा की गयी है।

इस सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क शासनादेश समय से उपलब्ध न होने के कारण कुछ देयकों से उ चत रॉयल्टी की कटौती नही की जा सकी| तदौपरांत उ चत दर से ही रॉयल्टी की कटौती की गयी। तथा ठेकेदारों के अन्य देयकों से उनके द्वारा जमा धरोहर धनरा श से रोयल्टी की वसूली कर ली जाएगी।खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि रायल्टी की कम कटौती की गयी।

अत:उपखनिजोपर` 5.52 लाख कमरायल्टीवसूला कए जाने का प्रकरणउच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 6:-वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त किये अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नही किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के निम्नलिखित प्रस्तर संख्या में प्रावधानित था कि :–

प्रस्तर संख्या–524 ठेकेदार से सम्बन्धित लेखों को ठेकेदारों की बही, प्रारूप 43 में पृथक पृष्ठों के संयोग (Set of folios) में लिखा जायेगा जिसमें प्रत्येक ठेकेदार से सम्बन्धित सभी संव्यवहारों के लिए व्यक्तिगत खाता होगा।

प्रस्तर संख्या–524 कार्य सारांश को प्रथमतः उप–प्रखण्ड कार्यालय में तैयार किया जाना चाहिये। इसमें नकदपुस्तिका (Cash book) और सम्बन्धित ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों को दिन प्रतिदिन के हिसाब से लिखना चाहिये तथा अन्तिम प्रभार की वापसी लेखन (write book) और नकद वापसी को ऋणात्मक प्रविष्टि के रूप में लिखना चाहिये।महीने के अन्त में भण्डारण एवं समायोजन संव्यवहारों को सम्मिलित करना चाहिये तथा निर्धरण पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा की उल्लेख किया जाना चाहिये तथा निलम्बित शीर्षक (1) ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान (2) ठेकेदारों को प्रतिभूतित अग्रिम और (3) ठेकेदारों के अन्य संव्यवहार के अधीन सकल योग की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए ठेकेदारों के लेखे के बन्दी जमा राशि (Closing Balance) का विवरण दिखाया जाना चाहिये। कार्य सारांश को प्रखण्ड लेखाकार की देखरेख में जांचा और बन्द किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा–

''इस कार्य सारांश को मेरे देखरेख में मेरे द्वारा जांचा गया है। मैंन`व्यक्तिगत रूप से सभी मदों का मिलान 'ठेकेदारों का विवरण' 'ठेकेदारों के सन्दर्भ में बन्दी जमाराशि' के रजिस्टर से किया है उन्हें सही पाया है।

प्रस्तर संख्या–634 प्रखण्ड से सम्बन्धित सभी निक्षेपण मासिक संव्यवहार के रूप में समेकित अभिलेख के रूप में तैयार किये जाएं तथा उन्ह`ें निक्षेपित कार्य की अनुसूची के प्रारूप 65 में तैयार किया जाएं। प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में दर्शित इस अनुसूची में प्राप्त निक्षेपण की राशि तथा नियत खर्च दोनों माह के दौरान तिथिवार रीति से दिया जाएं।

पूर्ण कार्य के बिना खर्च की गयी राशि की वापसी निक्षेपण की कटौती मे ली जाएं, इसलिए ऋणात्मक वसूली के रूप में अनुसूची में इसे दर्शित किया जाये न कि खर्च के रूप में इसे दर्शित किया जाए।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जांच (05/2017) के दौरान पाया गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के उक्त प्राविधानों के बावजूदखण्ड के अन्तर्गत ठेकेदारो की बही(Contractors Ledger), कार्य सारांश(works abstract) तथा निक्षेपित कार्यो की अनुसूची प्रारूप 65 (Form no. 65 "Schedule of deposit works") का रखरखाव नही किया जा रहा थातथा कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून को मासिक लेखा के साथ संलग्न कर प्रेषित नही किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लिखित है कि उक्त का रखरखाव नही किये जाने के सन्दर्भ में उच्चाधिकारियों द्वारा ऐसा कोई दिशा–निर्देश नही दिया गया था इसके बावजूद भी खण्ड द्वारा उक्त अभिलेखों का रखरखाव नही किया जा रहा था। आगे यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा सामान्य भविष्य निधि(जी0पी0एफ0) ब्राडशीट का रखरखाव भी सुनिश्चित नही किया जा रहा था।

उक्त को इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि **भविष्य में** Contractor ledger**तैयार कर लए जायेगे**,Worksabstract**हेतु उप खंडीय अधिकारीयो को निर्देश दे दिये जायेगे** तथा**भविष्य में**फार्म–65 तैयार कर मासिक लेखा के साथ संलग्न कर कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दिया जायेगा और जी0पी0एफ0 ब्राडशीट के रखरखाव की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि होती है कि उक्त अभिलेखों का रखरखाव खण्ड के अन्तर्गत नही किया जा रहा था, जबकि उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त अभिलेखों का रखरखाव नही किये जाने के सन्दर्भ में ऐसा कोई दिशा–निर्देश नही दिये गये थे।

अतः वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त किये अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 7:–कार्य पर वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (2010) के अनुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त न किया जाना, टुकड़ो में बाटना व रू0 30.38 लाख का व्ययाधिक्त भारित किया जाना।

जनपद उत्तरकाशी में विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में ज्ञानसू–साल्ड–उपरीकोट–भराणगांव मोटर मार्ग वरूणा घाटी का महत्वपूर्ण मार्ग है जो खुरकोट, उपरीकोट, भराणगॉव एवं निसमोर के ग्रामवासियों को जनपद मुख्यालय से जोड़ता है। मार्ग के प्रथम 11.06 किमी0 में डामरीकरण एवं सुधार कार्य ए0डी0बी0 खण्ड द्वारा किया जाना था शेष 6.535 किमी0 लम्बाई में कच्चा निर्मित भाग में सुधार एवं डामरीकरण कार्य किया जाना था। उक्त मोटर मार्ग के अन्तर्गत कि0मी0 12 से 18 में सुधार एवं डामरीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या:935/XVIII-(2)/15-12(11)/2014 टी0सी0, दिनांक 30.03.2015 के द्वारा लागत रू0358.83 लाख की प्राप्त हुयी थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा पत्रांकः 2476 याता0/613 (।) सी0– 6/2014–15 दिनांक 25–06–2015 के माध्यम से लागत रू0 358.83 लाख की प्रदान की गयी थी।खण्डीय अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि

1. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (2010) के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता को रू0 2.50 करोड़ की सीमा तक प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जबकि उक्त कार्य लागत रू0 358.83 लाख की प्राविधिक स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रदान की गयी
2. कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए निविदा दिनांक 02.06.2015 को आमंत्रित की गयी।
3. कार्य को टुकड़ों में बांटते हुए कुल 13 अनुबन्ध अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता स्तर के गठित किये गये लेकिन कार्य को टुकड़ों में बांटने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं वित्तीय नियमानुसार सक्षम अधिकारी सें अनुमोदन प्राप्त नही किया गया था।
4. कार्य पर मासिक प्रगति आख्या तथा फार्म–64 के अनुसार माह 04/2017 तक कुल रू0 334.83 लाख का व्यय भारित किया गया था जबकि उक्त अवधि तक भुगतान बाउचर के अनुसार कुल रू0 291.29 लाख का ही व्यय किया गया था,इस प्रकार कार्य के व्यय में रू0 43.54 लाख का अन्तर था जबकि कार्य हेतु मात्र रू0 13.16 लाख का आकस्मिक व्यय व क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु प्राविधानित था। इस प्रकार निष्पादित कार्य पर आधिक्य व्यय रू0 30.38 लाख भारित किया गया।

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (2010) के अनुसार विशेष मरम्मत के कार्यो के प्राविधिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जबकि निविदा

आमंत्रित करते समय कार्य को टुकड़ों में बांटने हेतु कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया गया तथा अन्तर की धनराशि का व्यय स्टाक एवं कन्टीजेन्सी मद से भारित किया गया। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नही था क्योंकि यह कार्य विशेष मरम्मत का कार्य नही था क्योकि खण्ड द्वारा 07/2015 से 01/2017 तक अलग–अलग अनुबन्ध बनाये गये थे जो यह दर्शाता है कि कार्य अतिआवश्यक/विशेष मरम्मत प्रकृति का नही था तथा स्टाक सम्बन्धी व्यय फार्म–64 में सम्मिलित था एवं कन्टीजेन्सी मद का प्रावधानित व्यय घटाने के उपरान्त भी रू0 30.38 लाख का व्ययाधिक्त दर्शाया जा रहा था।

अतः कार्य पर वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (2010) के अनुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त न किया जाना, टुकड़ो में बाटना व रू0 30.38 लाख का व्ययाधिक्त भारितकिये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1** :वर्ष 2012 के पूर्व से भंडार मे झूला पुल मे लगने वाली वायर रोप व अन्य सामग्री मूल्य` 32.32 लाख का उपयोग व निस्तारण न कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर संख्या 212. (a)के अनुसार The total quantities of the receipts and issues of each article of stock, as recorded in the monthly abstracts, form no. 9 and 10, should, before the abstracts are transmitted to the divisional office (vide paragraph 724), be posted in the half-yearly balance return, Form no. 11, in the columns provided for the month concerned both under "Receipts" and "Issues".

b) A separate return in this form should be prepared for each of the half-year ending September and march, that for the September half-year embracing only transactions up to the date on which the monthly accounts of the sub-divisional are closed. The return for each half-year should embrace all articles in stock. (c) Columns 22 and 23 of the form of the return are provided so as to give the sub-divisional and divisional officers an opportunity of commenting on the condition of the stores or on the rated and of noticing cases in which the balances are in excess of requirements.

अ धशासी अ भयन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि. व.के भण्डार लेखा व अन्य अ भलेखों की जांच में पाया गया क:

- खण्ड के अर्धवा र्षक भण्डार लेखा बन्दी 9/2014 से नही की गयी है।उक्त अर्धवा र्षक भण्डार लेखा बन्दी मे कुल `30.38 लाख की सामग्री का अन्तर था ले कन उस का निस्तारण आति थ तक नहीं कया गया है।
- खण्ड के भण्डार मे 9/2016 तक कुल `83.20 लाख की सामग्री उपलब्द थी जिस मे 95 मे से 65 अलग अलग सामग्री जिसका कुल मूल्य लगभग `32.32 लाख का है का वगत कई वर्षो से उपयोग नहीं कया गया है और न ही उक्त के निस्तारण[2] हेतु उच्चा धकारियों को सू चत कया गया है।

इस के अतिरिक्त यह भी पाया गया क खंड के भण्डार मे झूला पुल मे लगने वाली सामग्री जसे क वाइर, एमएस प्लेन बार, बेल लस व ऐंकर रोड्स आदि `21.52 लाख मूल्य कीसामग्री वर्ष 2012 के पूर्व से बेकार पढ़ी है जिसमे से ज्ञानसू कड़ोला में भागीरथी नदी पर पैदल सेतु निर्माण स्पान की लम्बाई कम हो जाने से 870 मीटर(4 मैनकेबिल तथा 2 वड केबिल कुल 6

---

[2]अन्य खण्डों से मांग पत्र प्राप्त होते

केबिल×145 मीटर=870 मीटर वायर रोप) लम्बाई का वायर मूल्य `12.18 लाख का उपयोग न होने के कारण खण्ड के भण्डार में बेकार पड़ा हे। उक्त शेष वायर के निस्तारण हेतु खण्ड द्वारा पूर्व के लेखा परीक्षा (अगस्त 2014) मे अवगत कराया गया था क उच्चा धकारियों को सू चत कर दिया गया है व अन्य खण्डों से मांग प्राप्त होते ही शेष वायर का निस्तारण कर दिया जायेगा। ले कन वगत पाँच वर्षो के उपरांत भी शेष वायर का उपयोग व निस्तारण खण्ड द्वारा नहीं कयाजासका है। वभागीय प्रतिवेदन एवं कार्यपूर्ति दिग्द र्शका के अनुसार यह भी पाया गया क वगत तीन वर्षो (2014-17) मे व भन्न योजना के अन्तर्गत कुल 348 सेतु निर्माण के कार्ये पूर्ण कए गए है और ऐसा भी नहीं है क इस प्रकार के झूलापुल राज्य मे कही न बने हो जिसमे इन उपलब्द वायरस को प्रयोग कया जा सकता था।

इस और इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया क भण्डार की लेखा बन्दी शीघ्र कर दी जायगी व अ धक सामग्री को जाँच उपरान्त निस्तारण कया जायेगा। शेष वायर के निस्तारण हेतु अवगत कराया गया की कसी भी खण्ड द्वारा उक्त वायर हेतु मांग नहीं की गई है आगे यह भी बताया गया क इस वायर को दिल्सौड़ ग्राम हेतु स्वीकृत झुला पुल 120 मी0 में प्रयोग कर लया जाएगा. खण्ड का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यो क वगत 5 वर्षो से अ धक समय व्यतीत होने के उपरांत व पूर्वके लेखा परीक्षा (अगस्त 2014) मे अवगत कराया जाने पर भी उक्त सामग्री का उपयोग या निस्तारण खण्ड द्वारा सुनिश्चित नहीं कया गया है

अत: वर्ष 2012 के पूर्व से भंडार मे रखी झूला पुल मे लगने वाली वायर रोप मूल्य ` 21.52 लाख व अन्य सामग्री मूल्य ` 10.80 लाख का वगत कई वर्षो से उपयोग व निस्तारण न कया जाने के प्रकरण को उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
20/1992-93	-	03
23/1996-97	-	02
29/01-02	-	3(क)
41/02-03	-	2
04/04-05	-	1,2
59/05-06	1,2,3	2
54/2010-11	1	-
07/2012-13	1,2	1,3
58/14-15	-	2,3,4,6
94/2015-16	1,2	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अद्यतन कर प्रे षत कये जा रहे है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) वगत लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अ भलेखः उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मो.मा. के कमी 24 से 51 तक {C/Seal Coat कार्य से संबं धत Detailed Estimate (₹ 183.75 लाख)। माप-पुस्तिका 456/L, 467/L, 384/L

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	ई. अशोक कुमार,	अ धशासी अ भयन्ता	12-4-14 से अबतक

(ii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री वनोद कुमार, (12-08-2014 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II